# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 (फाल्गुन 27, 1932)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 99 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे। श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या-17 (क्र. 5802) में मंडी शुल्क की चोरी के संबंध में कार्यवाही न करने के विरोध में, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी,उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

### 2. अध्यक्षीय व्यवस्था

इंजी. लड्डूराम कोरी, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या-10 (क्रमांक 4522) में अत्यधिक विस्तृत जानकारियां शासन से चाहने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - "माननीय सदस्यगण ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां चाहते हैं जिनके बिना भी प्रश्न का आशय स्पष्ट हो जाता है। बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग के कारण ही प्रश्नों में अनेक पृष्ठों के पुस्तकालय संबंधी साहित्य की स्थितियां बनती हैं। विभागों को भी जानकारी एकत्रित करने में समय लगता है मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि प्रश्नों में अत्यावश्यक होने पर ही संक्षिप्त दस्तावेजों की अपवादस्वरूप मांग किया करें।"

### 3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 19 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार -

(1) श्रीमती गीता रामजीलाल उईके, सदस्य की घोड़ाडोंगरी शाहपुर के भयावड़ी एवं भोखा स्थित स्टाप डेमों में गेट न होने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की भोपाल के टी.टी.नगर क्षेत्र के मॉडल स्कूल के पास गुमटी रखी जाने,
(3) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की लांजी के बैगा आदिवासियों को बैगा विकास अधिकरण योजनाओं का लाभ न देने,
(4) श्री कमलेश जाटव, सदस्य की मुरैना के अम्बाह में सड़कों की जर्जर हालत होने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में स्टाम्प पेपर्स नहीं मिलने,
(6) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना के अमरपाटन में विद्युत संभाग का कार्यालय खोले जाने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड के ग्राम राव में दो युवकों की मिट्टी गिरने से मृत्यु होने,
(8) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर के ग्राम बम्होरी में शालाओं का उन्नयन न होने,
(9) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट के ग्राम पुल पुट्टा में एक युवती का शव मिलने,
(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर में शिक्षा केन्द्र कार्यालय हेतु भवन निर्माण पूर्ण न होने,
(11) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह में जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर ठीक न किये जाने,
(12) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की देवास जिले के गढ़खजुरिया में तालाब निर्माण न होने,
(13) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट में ग्राम पंचायत को रेत खदानों से रायल्टी प्राप्त न होने,

(14) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की राजगढ़ के ग्राम सडावेना में अस्पताल न खुलने,
(15) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना के कई ग्रामों की सड़कें बनवाने एवं ठीक कराई जाने,
(16) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट के वन क्षेत्र का विस्तार न होने,
(17) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य की प्रदेश में तकनीकी संस्थाओं हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना करने,
(18) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर के राजनगर स्थित शिव सागर तालाब को पानी से भरे जाने तथा
(19) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य की प्रदेश में नीलगायों के प्रकोप से कृषकों को हानि होने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

## 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचनाएँ दिनांक 2 जुलाई, 2009 तथा दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 पटल पर रखी।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग व रोजगार मंत्री ने (क)मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2009-10 तथा (ख) वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना, दिनांक 29 दिसम्बर,10 पटल पर रखी।

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचना, दिनांक 1 फरवरी, 2011 पटल पर रखी।

## 5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में 23 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 6 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की सूचनाएं सभा में सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखे माने जायेंगे. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेंगी एवं सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री के वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे। तद्नुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम स्थित लोकेन्द्र पैलेस के बगीचे की जमीन की बिक्री होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री संजय पाठक, के.पी. सिंह, सदस्यगण तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने कटनी जिले में जल प्रदाय योजना के दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 6. अशासकीय कार्य संबंधी अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के कार्य के लिये नियत हैं। आज भी भोजनावकाश नहीं होगा तथा माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था लॉबी में की गई है। अत: शासकीय कार्य पूर्ण होने के बाद ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिए नियत किये जाते हैं।

## 7. ध्यान आकर्षण (क्रमशः)

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी क्षेत्र में रसोई गैस की काला बाजारी होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

**सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुईं।**

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को वनाधिकार प्रपत्र न दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य ने अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र के विकास हेतु राशि का आवंटन न होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र में नक्सलवादियों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

**सभापति महोदया द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (7) से (23) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -**

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के आदिवासियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(8) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के विद्यार्थियों को जबरन स्वाध्यायी घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(9) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र सेमरिया में एस.ए.एफ. की चौकी स्थापित न करने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(10) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़, जिले के ग्राम घाटाखेड़ी में विद्युत तार न लगाये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य,

(11) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले के जनपद पंचायत अजयगढ़ के ग्राम पंचायत हरदी के लोगों को रोजगार गारंटी का लाभ न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(12) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल स्थित मसाजिद कमेटी के कार्यालय में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(13) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम चरगौड़ा में बैगा आदिवासी के साथ अमानवीय कृत्य कर मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(14) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के पटवारी हल्का भजियादण्ड के कृषकों द्वारा मुआवजा वितरण को लेकर प्रदर्शन किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(15) श्री आरिफ अकील एवं डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्यगण की प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के परीक्षण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(16) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में घटिया पोषण आहार का वितरण होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास का वक्तव्य,

(17) डॉ. कल्पना परूलेकर, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्यगण की उज्जैन की नीलगंगा पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(18) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी उद्यान अधीक्षक द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(19) श्री अजय सिंह, सदस्य की मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, ग्वालियर द्वारा गोदामों में उपयोग किये जाने वाली दवाओं की प्रभावी तिथि खत्म होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य,

(20) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम बोरदी में एक बालिका के साथ बलात्कार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(21) श्री पुरुषोत्तम दांगी, डॉ. गोविन्द सिंह एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण की बालाघाट जिले में रेत खदानों की नीलामी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य,

(22) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर दुग्ध संघ के कर्मचारियों को नियुक्ति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य,

(23) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में खोदी गई सड़कों को न भरे जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य,

## 8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य ने लोक लेखा समिति का 106वां से 133वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति ने याचिका समिति का अभ्यावेदन संबंधी नवम् एवं कार्यान्वयन संबंधी दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के -

(क) ग्राम खाकरौन में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बेलईघाट में शासकीय मिडिल स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम गोरा से धारखेड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम कनेरा नीखर में हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने तथा

(ङ) ग्राम खैरा मलईया में पानी टंकी का निर्माण किये जाने,

(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की सागर जिले के -

(क) ग्राम ऐरन से उजरई तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम मुड़िया नायक को मुख्य सड़क से जोड़े जाने तथा

(ग) ग्राम बरोदिया से हरदौर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्री कमल पटेल, सदस्य की हरदा जिले के -

(क) ग्राम बोधियाखुर्द से रेवापुर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) हरदा छीपानेर नसरुल्लागंज मार्ग के बीच नर्मदा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(ग) खिड़किया नगर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण किये जाने,

(घ) बाजनिया-गाड़रापुर शिवपुर मार्ग के गंजाल नदी पर पुल निर्माण किये जाने तथा

(ङ) हरदा नगर के नेशनल हाईवे मार्ग पर ओव्हर ब्रिज निर्माण किये जाने,

(4) श्री विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा, सदस्य की नीमच जिले के -

(क) भाटखेड़ी खुर्द कुकड़ेश्वर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा

(ख) ग्राम बरडिया जागीर से भादवा माता तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के -

(क) ग्राम टहंगी में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण किये जाने तथा

(ख) घुघरी तहसील में कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(6) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की भोपाल जिले की तहसील बैरसिया के ग्राम कुटकीपुरा में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(7) श्री कमलेश जाटव, सदस्य की मुरैना जिले की पोरसा तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सिविल अस्पताल किये जाने, एवं

(8) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम हांसईमेदवा में डब्लू.बी.एम. सड़क निर्माण किये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

## 10. किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का प्रश्न सम्बन्धी वक्तव्य

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने दिनांक, 24 फरवरी, 2011 को पूछे गये परिवर्तित तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 687) के उत्तर में संशोधन करने सम्बन्धी वक्तव्य दिया।

## 11. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ........(क्रमशः)

(20) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 3 | पुलिस के लिए दो हजार पांच सौ उनतालीस करोड़, नौ लाख, तीस हजार रूपये तथा |
| अनुदान संख्या - 4 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए अठारह करोड़, सत्रह लाख, तीस हजार रूपये |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 3 | 1., 2, 3, 4, 8, 19, 21, 25 |
| मांग संख्या - 4 | 1, 2, 13, 14, 17 |

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री परसराम मुद्‌गल
(5) श्री अजय यादव
(6) श्री पारस सकलेचा

**सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।**

(7) श्री सुदर्शन गुप्ता
(8) श्री के.पी. सिंह
(9) श्री लखन घनघोरिया
(10) श्रीमती साधना स्थापक

(श्री मनीराम धाकड़, सदस्य द्वारा उनकी बात रखने की अनुमति न मिलने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।**

(21) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए सात सौ तिरेसठ करोड़, इक्यानवे लाख, तिरासी हजार रूपये |

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 39 | 6, 19, 20 |

**सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।**

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री नारायण प्रजापति
(4) श्री रामलखन सिंह

(5) श्री रोडमल राठौर
(6) श्री लखन घनघोरिया
(7) श्री आरिफ अकील
(8) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(9) श्री राजकुमार उरमलिया
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता
(11) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(12) श्री बृजमोहन धूत

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(22) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिए एक हजार पांच सौ चौंसठ करोड़, इकतीस लाख, तिरानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 55 | 3, 4, 15, 18 |

## 12. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य द्वारा महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी प्रशासकीय प्रतिवेदन में विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में उल्लेख करने पर सभापति महोदय द्वारा शासन का इसमें त्रुटि होने पर सुधार करने हेतु निर्देश दिया गया।

## 13. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ........(क्रमशः)

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती साधना स्थापक
(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(3) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके
(7) श्री राजकुमार उरमलिया
(8) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(23) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 12 | ऊर्जा के लिए तीन हजार तीन सौ इकतीस करोड़, नवासी लाख, इक्कीस हजार रूपये तथा |
| अनुदान संख्या - 25 | खनिज साधन के लिए इक्कीस करोड़, चार हजार रूपये |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 12 | 6, 9, 32, 33 |
| मांग संख्या - 25 | 3, 10, 13, 14 |

**सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।**

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री मनीराम धाकड़
(4) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़
(5) श्री लखन घनघोरिया

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(6) श्री रामलखन सिंह
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह
(8) श्री राजकुमार उरमलिया
(9) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(10) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(11) श्री पारस सकलेचा
(12) श्री बृजमोहन धूत
(13) श्री ब्रजराज सिंह
(14) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) का पुरःस्थापन किया।

## 15. अशासकीय संकल्प

(1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में निवासरत, नमोशुद्रः पोद (पौन्ड क्षत्रीय) पौंड्रा, झालों, मांलों, राजवंशी को मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाये.".

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि झांसी रेल्वे स्टेशन से गुजरने वाली भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सामान हेतु अतिरिक्त रैक लगाया जाये.".

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत हुआ।

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य का अशासकीय संकल्प "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेल किराये में वरिष्ठ महिलाओं की भांति वरिष्ठ पुरूषों को भी 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) छूट समान रूप से दी जाये.". उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपराह्न 7.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 18 मार्च, 2011**